उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-69/2021/एस-2-।/115730/दस-2021-3146/2021

लखनऊ :: दिनॉक:: 23 नवम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' के अधिकारी श्री निजिलिंगप्पा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को उनके अपने कार्य के साथ-साथ महाप्रबन्धक (वित्त), यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री निजिलिंगप्पा को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

संख्या-69/2021/एस-2-।/115730(1)/दस-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।